भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5741
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

दत्तक-ग्रहण कानून

5741. **श्री अनिल यशवंत देसाई:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दत्तक-ग्रहण संबंधी भारतीय कानून बच्चों के सुरक्षित भविष्य/वातावरण की पर्याप्त देखभाल करते है;
(ख) यदि किसी विदेशी दम्पत्ति द्वारा दत्तक-ग्रहण का अनुरोध किया जाता है तो इस स्थिति के लिए किए गए विशेष उपबंधों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार कानून के अंतर्गत प्राधिकृत नहीं किए गए लोगों द्वारा दत्तक-ग्रहण किए जाने की निगरानी कर रही है/रोकथाम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान अवैध रूप से दत्तक-ग्रहण किए जाने के आरोप में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के लिए नोडल मंत्रालय है, यह कानून देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःमिलन के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि का

उल्लंघन करने वाले बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है।

जे जे अधिनियम, 2015 , किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 (2022 में यथा संशोधित) और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के तहत, देश भर में दत्तक ग्रहण के लिए एक समान कानूनी ढांचा उपलब्ध है। कुल मिलाकर, यह व्यापक ढांचा सुनिश्चित करता है कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को पारदर्शी और कानूनी रूप से सशक्त दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से एक सुरक्षित, स्थायी और प्यार करने वाला परिवार मिल सके।

(ख): किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 59 अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चे के अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है। इसके अलावा, दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15 से 23 एनआरआई, ओसीआई और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के लिए दत्तक ग्रहण की प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है।

(ग): दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी है। केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से अवैध दत्तक ग्रहण को पंजीकृत करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(घ): केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

*****